न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा
(बईजलास श्री संजय माथुर आर ए एस)

प्रकरण संख्या 69 / 2015 प्रार्थनापत्र एलआर

अनवान

1. श्री नारायण पिता लादु गुर्जर निवासी राक्षी तह बनेडा जिला भीलवाडा।
2. श्री राजु पिता लादू गुर्जर निवासी राक्षी तह बनेडा जिला भीलवाडा।
3. श्रीमती ऐजी बेवा लादू गुर्जर निवासी राक्षी तह बनेडा जिला भीलवाडा।

........प्रार्थीया

बनाम

1. श्री नारायण पिता देबी दरोगा निवासी राक्षी तह बनेडा जिला भीलवाडा।
2. श्री रामलाल पिता हीरा गुर्जर निवासी राक्षी तह बनेडा जिला भीलवाडा।
3. श्री दुर्गा पिता हीरा ग ुर्जर निवासी राक्षी तह बनेडा जिला भीलवाडा।
4. श्री मोहन पिता रतना बलाई निवासी राक्षी तह बनेंडा जिला भीलवाडा।
5. राजस्थान राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब बनेडा जिला भीलवाडा ।

.... विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :::– श्री कृष्ण कुमार जीनगर वकील प्रार्थी

–:आदेश:–

दिनांक 29.06.2015

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम राक्षी पटवार मण्डल राक्षी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी की भूमि की खाता संख्या 227 आराजी संख्या 82, 83, 280/1, 282, 283, 302, 303, 561, 568, 573, 1480, 1504 कुल किता 12 रकबा 12 बीघा 06 बीस्वा भूमि दर्ज रिकॉर्ड है जिसके कोई पुख्ता सीमाचिह्न नहीं होने की वजह से पड़ौसियान से अकसर विवाद होता रहता है। प्रार्थी ने पड़ौसान से अपनी आराजियात बाबत् पत्थरगढ़ी कराने के लिए कहा किन्तु उनके द्वारा इन्कार कर दिए जाने से यह प्रार्थनापत्र उप न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी की उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान किया जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये समन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना के भी उपस्थित होकर कोई आपत्ति एवं एतराज होना जाहिर नहीं किया। इसलिए इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। प्रार्थी पक्ष को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं मनन किया गया। प्रार्थी उक्त आदेश की चरण सं. 1 में वर्णित आराजियात का खातेदार काश्तकार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य है।

–:: आदेश::–

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षी स्वीकार किया जाकर वाके वाके ग्राम राक्षी पटवार मण्डल राक्षी तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी की भूमि की खाता संख्या 227 आराजी संख्या 82, 83, 280/1, 282, 283, 302, 303, 561, 568, 573, 1480, 1504 कुल किता 12 रकबा 12 बीघा 06 बीस्वा भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात समस्त पड़ौसान के किये जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक उपरेडा को 1200/–रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व समस्त हितबद्ध पड़ौसी खातेदारान, एवं मृत्तक खातेदार की दशा में उसके विधिक वारिसान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जावें। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.06.2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय माथुर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. तहसीलदार बनेड़ा
2. भू अभिलेख निरीक्षक उपरेडा

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा